4/1

न्यायालय परगनाधिकारी, बिजनौर।

वाद संख्या– टी 20151316011426 — धारा–143 जंमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950

मौजा– हाशमपुर — परगना– दारानगर

कृष्णा एजूकेशनल एण्ड सोशल डवलपमेंट ट्रस्ट अध्यक्ष मनोज कुमार आदि — बनाम — सरकार

नकल — **निर्णय** दि० फैसला – 18-05-2015

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही कृष्णा एजूकेशनल एण्ड सोशल डवलपमेट ट्रस्ट द्वारा मनोज कुमार पुत्र महाराज सिह निवासी एस.बी. 185, शास्त्रीनगर, गाजियाबाद व सचिव राजीव कुमार पुत्र महाराज सिंह निवासी एस.बी. 185 शास्त्रीनगर, गाजियाबाद के प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–143जेड0ए एण्ड एल0आर0एक्ट दिनांक 01.05.2015 पर प्राप्त तहसीलदार, बिजनौर की आख्या दिनांक 16.05.2015 के आधार पर प्रारम्भ की गयी। वादीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत कहा गया है कि संस्था की भूमि गाटा संख्या 134 कुल क्षेत्रफल 4.110है0 में से 1.729है0 एवं गाटा संख्या 135/0.506है0 भूमि ग्राम हाशमपुर परगना दारानगर द्वारा पंजीकृत दानपत्र दिनाक 24.02.2015 द्वारा प्राप्त हुई है। इस भूमि पर कृषि कार्य नही हो रहा है। इस भूमि के आस–पास आबादी दर्ज है। संस्था इस भूमि का प्रयोग अकृषक कार्यो हेतु करना चाहती है। जिस कारण उपरोक्त भूमि का अकृषक घोषित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अन्त में वादीगण द्वारा उपरोक्त वर्णित भूमि को अकृषिक धोषित करने का अनुरोध किया गया है।

प्रार्थना पत्र पर प्राप्त तहसीलदार, बिजनौर की आख्या दिनांक 16.05.2015 में कहा गया है कि ग्राम हाशमपुर परगना दारानगर की खतौनी खाता संख्या 38 के गाटा नम्बर 134 क्षेत्रफल 4.110है0 लगान 75.40 के बकदर भाग 1.729है0 लगान 31.70 रूपये तथा खाता संख्या 39 के गाटा संख्या 135 क्षेत्रफल 0.506है0 लगान 10.05 रूपये के पूर्ण भाग पर कृष्णा एजुकेशनल एण्ड सोशल डवलपमेन्ट ट्रस्ट एस.बी. 185 गाजियाबाद द्वारा अध्यक्ष मनोज कुमार पुत्र महाराज सिंह निवासी एस0 बी 185 शास्त्रीनगर गाजियाबाद व द्वारा सचिव राजीव कुमार पुत्र महाराज सिंह निवासी एस. बी. 185 शास्त्रीनगर गाजियाबाद का नाम खतौनी में संकमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। उपरोक्त दोनो नम्बरों में कृषि कार्य, कुक्कुट पालन, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि कार्य नही हो रहा है। भूमि मौके पर खाली व आबादी के प्रयोग में लाई जा रही है। भूमि ग्राम समाज, सीलिंग व सैन्चुरी क्षेत्र से प्रभावित नहीं है। गाटा नम्बर 134 संयुक्त है। अतः उपरोक्त गाटा नम्बरान को आबादी दर्ज करने व लगान मुक्त करने हेतु आख्या संस्तुति सहित उपलब्ध कराई गयी है।

मैने पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना–पत्र दिनांक 01.05.2015 एवं तहसीलदार, बिजनौर की आख्या दिनांक 16.05.2015 व मौजा–हाशमपुर की खतौनी फसली वर्ष 1420 से 1425 के खाता संख्या 38 व 39 व जोत चकबन्दी आकार–पत्र 41 व 45 व नकल खसरा वर्ष 1422 तथा नजरी नक्शा इत्यादि का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बिजनौर की उक्त आख्या से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि अकृषिक कार्य मे प्रयोग की जा रही है। अतः प्रश्नगत प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

अतः एतद्द्वारा जंमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 143 में वर्णित प्राविधानो के अन्तर्गत मौजा हाशमपुर परगना दारानगर के खाता संख्या 38 के गाटा नम्बर 134 क्षेत्रफल 4.110है0 लगान 75.40 के बकदर भाग 1.729है0 लगान 31.70 रूपये तथा खाता संख्या 39 के गाटा संख्या 135 क्षेत्रफल 0.506है0 लगान 10.05 रूपये को अकृषिक घोषित किया

Chairman
Krishna Educational & Social Development Trust
Ghaziabad, (U.P.)

(2)

जाता है। आदेश की एक प्रति तहसीलदार, बिजनौर को राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि हेतु तथा एक प्रति उप–निबन्धक बिजनौर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफतर की जाये।

दिनांकः– 18-05-2015

(अंजू लता),
परगनाधिकारी, बिजनौर।

आज यह आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित होकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः– 18-05-2015

(अंजू लता),
परगनाधिकारी, बिजनौर।

3555
ह० धर्मेन्द्र कुमार
1-3-17
प्रतिलिपि जारी करने का दिनांक 2-3-17
2-3-17

सत्य प्रतिलिपि

Chairman
Krishna Educational & Social Development Trust
Ghaziabad, (U.P.)